न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/20/2017	28–06–2017	23–08–2018

1–राजेन्द्र कुमार पुत्र सरदारी लाल पौत्र बूटाराम उम्र 48 साल
2–सुरेन्द्र कुमार पुत्र सरदारी लाल पौत्र बूटाराम उम्र 46 साल
3–श्रीमती प्रभारानी पुत्री सरदारी लाल पत्नी सतीश कुमार
4–श्रीमती किरणबाला पुत्री सरदारी लाल पत्नी सुदर्शन कुमार निवासीयान ग्राम गढी धनेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 हाल होशियारपुर (पंजाब) जरिये मुख्तयार आम धर्मपाल पुत्र श्री मुलकराज भाटीया निवासी ग्राम गढ़ी धनेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0

अपीलान्टान

बनाम

1–मैसर्स डायनाटिक सर्विसेज प्रा0 लि0 जी–1252 चितरन्जन पार्क नई दिल्ली जरिये सुब्रोतो घोष

रेस्पाडेन्टान

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ़ का निर्णय दिनांक 17.04.93 नामान्तकरण संख्या 124 ग्राम गढ़ी जिला अलवर राज0

उपस्थितः–
01. श्री जे0सी0सतीजा

–वकील अपीलान्टस

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 17.04.1993 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 124 ग्राम गढ़ी तहसील रामगढ़, जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि बलदेव राज व सुरेन्द्र कुमार पुत्रान चिम्मन लाल ने आराजी खसरा नम्बर 1480 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का 1/4 हिस्सा रैस्पॉडेन्ट को जरिये पंजिकृत दस्तावेज विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 29.07.1992 को विक्रय किया, जो दस्तावेज 1423 नम्बर पर पंजीबद्व हुआ उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 1480 मिन रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम गढ़ी धनेटा मे अपीलान्ट के पिता सरदारी लाल का 3/4 हिस्सा था तथा शेष 1/4 हिस्से के खातेदार बलदेवराज व सुरेन्द्र कुमार थे। जिन्होने अपना 1/4 हिस्सा जरिये पंजिकृत बयनामा दिनांक 29.07.1992 को विक्रय कर कब्जा क्रेता को संभलवा दिया गया। लेकिन अपीलान्टान के 3/4 हिस्से को शामिल करते हुए दिनांक 17.04.1993 को रैस्पॉडेन्ट के ह कमे दर्ज कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलान्टान को प्रथम बार 24.08.2010 को हुई जिसकी नकल आवेदन पत्र 25.08.2010 को प्रस्तुत किया जाकर 27.08.2010 को मुख्तयार आम धर्मपाल द्वारा प्राप्त हुई। इसलिए जो देरी अपील प्रस्तुत करने मे हुई है वह जानकारी के अभाव में हुई है। देरी को अवद्यी माफ कराने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल बिना अध्ययन व बिना गौर के स्वीकृत किया गया है। आलोच्य आज्ञा क्षैत्राधिकार से हटकर पारित की गई है। क्योंकि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 14.04.1993 को उक्त इन्तकाल का निर्णय कर दिया गया जबकी अधिनस्थ न्यायालय को इसका अधिकार नही था। अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 17.04.1993 निरस्त फरमाया जाकर आराजी साबिक खसरा नम्बर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

1480 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम गढ़ी धनेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर का 3/4 हिस्सा की खातेदारी मिन अपीलान्टान के नाम दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 17.04.1993 के विरूद्ध दिनांक 30.08.2010 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 17 वर्ष से अधिक समय विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि असाधारण नही है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि पटवारी हल्का द्वारा विक्रय पत्र क्रमांक 1423 दिनांक 29.07.1992 का बिना अध्ययन किये ही नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भी बिना जांच के उक्त अंकन को स्वीकार कर लिया गया। तहसीलदार रामगढ़ की रिपोर्ट क्रमांकर 1563 दिनांक 10.04.2018 से भी स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 124 ग्राम गढ़ी जरिये पंजीबद्ध बयनामा क्रमांक 1423 दिनाक 29.07.1992 के आधार पर दर्ज किया गया है। नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 7 में बलदेव राज, सुरेन्द्र कुमार पिता चिम्मनलाल का 1/4 हिस्सा का अंकन है जबकी कॉलम नम्बर डायनेटिक सर्विसेज प्रा0 लि0 के नाम पूरा हिस्सा दर्ज कर दिया गया तथा उक्त इन्द्राज के आधार पर ही जमाबन्दी सन्वत 2052 में अमल कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण से खाना नम्बर 9 मे डायनेटिक सर्विसेज प्रा0 लि0 का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिए था, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया। नामान्तरकरण संख्या 124 को दर्ज करने एवं अमल करने में गलती हुई है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट की पुनः सुनवाई कर एवं बयनामा क्रमांक 1423 दिनांक 29.07.1992 का अवलोकन कर नियमों की रोशनी में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक **23–08–2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)